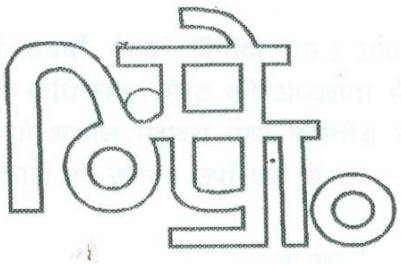

मेरठ विकास प्राधिकरण

की 64वी बोर्ड बैठक

दिनांक 15—3—2002 का

कार्यवृत

सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ

मेरठ विकास प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.3.2002 का कार्यवृत

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 64वीं बैठक दिनॉक 15.3.2002 को आयुक्त सभागार, मेरठ में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखत अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

1. श्री दीपक सिंघल — अध्यक्ष
   आयुक्त
   मेरठ मण्डल, मेरठ।

2. श्री चोब सिंह वर्मा — उपाध्यक्ष
   उपाध्यक्ष
   मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

3. श्री अवनीश कुमार अवस्थी — सदस्य
   जिलाधिकारी, मेरठ।

4. श्री यज्ञवीर सिंह चौहान — सदस्य
   विशेष सचिव, आवास, उ0प्र0शासन, लखनऊ
   (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, आवास, उ0प्र0शासन, लखनऊ)

5. श्री बिशन सिंह — सदस्य
   अपर निदेशक (उद्योग), मेरठ।

6. श्री आर.पी.अरोरा — सदस्य
   मुख्य नगर अधिकारी
   नगर निगम, मेरठ।

7. श्री राजपाल कौशिक — सदस्य
   सहयुक्त नियोजक
   (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ)

8. श्री एस.के.जमान — सदस्य
   चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर
   (प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0सी0आर0पी0बी0
   गाजियाबाद)

सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष

मद संख्या -१

प्राधिकरण की ६३वीं बोर्ड बैठक दिनांक ७-७-२००१ के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की ६३वीं बोर्ड बैठक दिनांक ७-७-२००१ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या -२

प्राधिकरण की ६३वीं बोर्ड बैठक दिनांक ७-७-२००१ में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

मेरठ विकास प्राधिकरण की ६३वीं बोर्ड बैठक दिनांक ७-७-२००१ में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या की स्थिति से सचिव द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया। मद संख्या ३(र) पर नगर निगम सभासद/सदस्य बोर्ड श्री राजकुमार सिंह ने काजीपुर गाँव में विद्युत व सडक मरम्मत कार्य कराने हेतु आग्रह किया। बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्राधिकरण क्षेत्र में अधिगृहीत भूमि वाले गाँवो के विकास सम्बन्धी कार्ययोजना शीघ्र बना ली जावे।तदनुरूप बजट बनाकर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

मद संख्या -३

बारातघरों/विवाह मण्डपों के निर्माण को शमन किये जाने तथा नये निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नये बारात घर की अनुमति के लिए दो बारातघरों के मध्य न्यूनतम दूरी ५०० मीटर के स्थान पर २०० मीटर रखी जाये। पार्किंग एवं अस्थायी निर्माण में सैट बैक में छूट से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करें। कौन-कौन से केस रैफर करने हैं यह परीक्षण प्राधिकरण करले। शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक समिति की संस्तुति के अनुरूप (२०० मीटर के संशोधन सहित) लम्बित या भविष्य में प्राप्त होने वाले मानचित्रों को निस्तारित किया जाये। बारातघरों की गाईडलाईन्स से सम्बन्धित योजना की बुकलैट तैयार कर आवेदकों को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करायी जाये तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाये।

मुख्य नगर नियोजक द्वारा बताया गया कि चार विवाह मण्डपों के नक्शे के प्रस्ताव प्राधिकरण में लम्बित हैं। अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि एक माह के अन्दर उपाध्यक्ष इनपर यथोचित निर्णय ले लें। पांच विवाह मण्डप ऐसे हैं, जिनके द्वारा न तो मानचित्र जमा कराया गया है और न ही इस हेतु कोई आवेदन किया गया है। इनके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इन्हें नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये।

जिन बारातघरों का निर्माण अवैध रूप से किया गया है उसके सम्बन्ध में यह जांच ली जाये कि यह निर्माण किस सहायक/अवर अभियन्ता के कार्यकाल मे हुए हैं उसके विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

बोर्ड द्वारा इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि सम्बन्धित आवेदकों द्वारा आवेदन करते समय नियमानुसार फायर के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाद में लेने हेतु सहमति तो दे दी जाती है लेकिन फायर के उपकरणों को नियमानुसार लगाया नही जाता है, जिससे किसी भी आशंका का भय बना रहता है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बारातघरों, बडे काम्पलैक्सों तथा कार्यालय भवनों के आवेदकों को "पूर्णता-प्रमाण-पत्र" (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) जारी होने के पश्चात ही भवन के प्रयोग/उपयोग में लाये जाने की अनुमति होगी तथा उपरोक्त शर्त मानचित्र में भी अंकित की जाये।

मद संख्या -४

प्राधिकरण द्वारा विकसित डिफैंस एन्कलेव आवासीय योजना में "वार विडोज" को आवासीय भूखण्ड आवंटन में सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि इसमें मेरठ के स्थायी निवासी आवेदकों को वरीयता दी जाये तथा इस आशय की शर्त अंकित कर दी जाये कि इस प्रकार की सुविधा के तहत आवंटित भवन/भूखण्ड का विक्रय ५ वर्ष तक मूल आवंटी द्वारा किसी अन्य को नही किया जायेगा तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अध्यावधिक निर्णयानुसार संशोधित निर्धारित मूल्य पर आवंटन किया जाये।

मद संख्या -५

श्रद्धापुरी आवासीय योजना हेतु ग्राम दांतल की अर्जित भूमि का माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिकर की बढी धनराशि को आवंटियों से वसूल करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या -६

गंगा नगर आवासीय योजना में पाकेट -एल से लगे भाग में 'डम्पयार्ड' हेतु आरक्षित भूमि में से १२०० वर्ग मीटर भूमि पर मृत बच्चों को दफनाये जाने के लिए उपयोग में रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचरोपरान्त निर्णय लिया गया कि ३९०० वर्ग मीटर भूमि के आंशिक भाग में पार्क/लॉन का विकास किया जाये तथा अवशेष भूमि पर मिट्टी भराई कर ग्रेवयार्ड हेतु चारदीवारी का निर्माण कराकर एक हैण्ड पम्प तथा शेड का निर्माण भी करा दिया जाये।

मद संख्या -७

गंगा नगर फेस-तीन में पाकेट-सी से लगे हुए भाग में हायर सेकेण्डरी स्कूल के स्थल के परिवर्तन तथा उक्त भूमि को आवासीय उपयोग में विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या -८

गंगा नगर प्रथम चरण में ग्रुप हाऊसिंग हेतु दर्शित भूमि को नियमित आकार का करने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या -९

सैनिक विहार योजना के अन्तर्गत सरकुलर मार्ग के निर्माण में उत्पन्न बाधा के निराकरण हेतु नगलाताशी की विस्थापितों को भूमि के बदले में भूमि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त नियमानुसार निर्धारित बाहय विकास शुल्क लेकर समायोजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या -१०

शताब्दी नगर आवासीय योजना में ग्राम रिठानी के गाटा संख्या १२१२ व १२१३ मि० में से ४८० वर्ग मीटर गाटा संख्या १२०४ व १२१० में से ६०० वर्ग मीटर गाटा संख्या ११२६ में ७५८ वर्ग मीटर व १२०९ में ५०५ वर्ग मीटर अर्जित की गयी भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त समिति की संस्तुति के अनुरूप नियमानुसार निर्धारित बाहय विकास शुल्क व अन्य देय शुल्क लेते हुए कार्यवाही करने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। भू-उपयोग के परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या -११

मेजर ध्यान चन्द स्पोटर्स गुउस काम्पलैक्स योजना में आल इण्डिया स्पोर्टस गुडस मैन्यूफैक्चर्स फैडरेशन के माध्यम से आवंटित सम्पत्ति पर फैडरेशन के सदस्यों को देय दण्ड ब्याज माफ किये जाने एवं भुगतान प्रक्रिया का औपचारिक अनुमोदन ।

विचारोपरान्त बोर्ड जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों से सहमत हुआ। शर्त यह है कि दो माह के अन्दर जो आवंटी अपेक्षित धनराशि जमा करेगा केवल उसे ही इसका लाभ मिलेगा अन्यथा शेष आवंटियों के निरस्तीकरण करके पुनः आवंटन की कार्यवाही की जाये।

मद संख्या -१२

प्राधिकरण की श्रद्धापुरी आवासीय योजना के प्रथम चरण हेतु ग्राम दांतल की भूमि अर्जित करके सुनियोजित विकास करने के उपरान्त भूमि/भवन आवंटियों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव एजेण्डा में मद संख्या ५ पर अनुमोदित होने के कारण वापस लिया गया।

मद संख्या -१३

प्राधिकरण की योजनाओं के लिए अर्जित किन्तु अनुपयोगी भूमि के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक २०-४-९९ के अनुपूरक मद संख्या-१ पर लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार हेतु प्रस्ताव।

भूमि के जिस अंश/भाग पर अतिक्रमण हुआ है उसपर बोर्ड ने चिंता जाहिर की। विचारोपरान्त दिनांक २०-४-९९ के बोर्ड निर्णय को निरस्त करते हुए निर्णय लिया गया कि भूमि प्राधिकरण के पास ही रहेगी तथा भूमि का भौतिक कब्जा यदि न लिया गया हो तो उसे तत्काल ले लिया जाये। उपाध्यक्ष तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करायें।

मद संख्या -१४

प्राधिकरण की गंगा नगर (एक्सटेंशन) योजना के अन्तर्गत अर्जनाधीन भूमि के परित्याग की कार्यवाही का निरस्तीकरण।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दिनांक ३०-३-९८ का बोर्ड निर्णय विधि सम्मत् एवं प्राधिकरण के हित में न होने के कारण निरस्त किया जाता है। तद्नुसार अधिग्रहण प्रकिया शीघ्र पूर्ण की जाये।

मद संख्या -१५

शासन को संदर्भित कृषकों को आऊट ऑफ कोर्ट समझौते के आधार पर अतिरिक्त प्रतिकर का निर्धारण व वितरण प्रकिया पर चर्चा व पुष्टि।

विचार-विमर्श हुआ। निम्नलिखित तथ्य बोर्ड के समक्ष आये :---

(१) प्रस्तावित समझौते के कारण अनुमानित १५०-२०० करोड की देनदारी प्राधिकरण पर आयेगी।

(२) उक्त देनदारी, नगद धनराशि या विकसित आवासीय भूमि देकर ही चुकायी जा सकती है।

(३) बोर्ड का अभिमत बना कि यदि शासन सहमत हो, तो समस्त योजनाओं की प्रस्तावित दरें तय करके विकल्प लेने के लिए काश्तकारों को खोल दी जाये।

(४) अपर निदेशक, उद्योग श्री बिशन सिंह द्वारा बताया गया कि समझौते के अनुपालन में दी जाने वाली धनराशि 'एक्स-ग्रेसिया' के रूप में होगी, जिसके लिए माननीय मंत्री परिषद की मंजूरी प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

बोर्ड ने निर्णय लिया कि उक्त के सम्बन्ध में समझौते का प्रारूप भी बना लिया जाये जिसपर किसानों से विकल्प लेकर माननीय न्यायालय में दाखिल करना है। प्रकरण पुनः शासन को उक्त बिन्दुओं पर मार्गदर्शन हेतु संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - १६

केन्द्रीय अधिनियम संख्या ३८/२००१ द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में किये गये संशोधन दिनांक २४-९-२००१ की प्रक्रिया को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति विलेखों में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या -१७

प्राधिकरण के प्रति माननीय जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण, राज्य आयोग, नेशनल आयोग एवं एम०आर०टी०पी०सी० आयोग में चल रही शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव को विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या -१८

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को वेदव्यासपुरी योजना में सैक्टर-३ एवं ५ में क्रमशः २७.२६७८ हैक्टे० में ३२.७५ हैक्टे० बल्क आवासीय भूमि एवं २.८४१ हैक्टे० कार्यालय उपयोग हेतु भूमि विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड अवगत हुआ निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक करके आवंटन सम्बन्धी अवशेष कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।

मद संख्या -१९

विवादित निर्माण अनुबन्धों में आर्बीट्रेटर की नियुक्ति के स्थान पर सिविल कोर्ट में विवाद निपटाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव की बोर्ड द्वारा सराहना करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव सभी प्राधिकरणों के बोर्डो के विचार योग्य है। शासन को सभी प्राधिकरणों में इसे लागू करने पर विचार किया जावे।

मद संख्या -२०

प्राधिकरण के चार वरिष्ठतम लेखा लिपिकों को वरिष्ठता एवं १५ वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण होने की दशा में सहायक लेखाकार के पदों पर प्रतिस्थापित/पदोन्नत किया जाना।

स्टॉफिंग पैटर्न की स्वीकृति के विरूद्ध होने के कारण पद उच्चीकरण का प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया। शासन से पद सृजन की कार्यवाही करायी जावे।

मद संख्या -२१

प्राधिकरण की योजनान्तर्गत ग्राम कसेरू बक्सर के गाटा संख्या १५६ की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी।

प्रकरण पर विचार-विमर्श हुआ। निम्नलिखित बिन्दु बोर्ड के समक्ष आये :-

(१) क्या १०० प्रतिशत भूमि समायोजित हो सकती है ?

(२) शासनादेश दिनांक ४-१२-२००० के तहत हुए उक्त समायोजन में विकास शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क, जैसे समुन्नति प्रभार, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, आदि प्राधिकरण को देय होंगे अथवा नहीं ?

(३) खुले स्थल/पार्क के बदले में अन्य स्थान पर पार्क हेतु भूमि को छोडी जाये अथवा नही तदनुरूप वन संरक्षण अधिनियम की स्थिति वर्तमान प्रकरण में क्या रहेगी ?

(४) उक्त भूमि को छोडने के निर्णय पर पुर्नविचार करने हेतु शासन को प्रकरण संदर्भित करने का निर्णय लिया गया तथा जबतक शासन के स्पष्ट आदेश प्राप्त न हो जाये तबतक उक्त स्थल पर निर्माण/विकास की अनुमति प्रदान न की जाये।

मद संख्या -२२

प्राधिकरण की वर्षों से अनिस्तारित भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसी भूमि जो अनिस्तारित/अविकसित उपलब्ध है, उसकी विधिक स्थिति का अध्ययन कर निविदा-सह-नीलामी 'जैसी है जहां है' सिद्धान्त के आधार पर अथवा यदि विधिक दृष्टि से आवश्यक है, तो समायोजन की कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाये। इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में आरक्षित मूल्य एवं निस्तारण की शर्तें आदि बनाकर अन्तिम रूप से निम्नलिखित समिति, अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर, कार्यवाही करायेगी :--

१- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
२- जिलाधिकारी, मेरठ या उनके प्रतिनिधि ।
३- सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
४- मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

बोर्ड ने निर्णय लिया कि भूमि अर्जन व्यय, विकास शुल्क , समुन्नति प्रभार, आदि की आय अवश्य प्राप्त हो, यह सिद्धान्ततः सुनिश्चित किया जाये।

मद संख्या -२३

प्राधिकरण की शताब्दी नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम अछरौंडा की भूमि खसरा संख्या १७८ मि० क्षेत्रफल ३३२७ वर्गगज के बदले भूमि दिये जाने हेतु मै० जी०गैसेज प्रा०लि० के अधिशासी निदेशक श्री डी०के०जैन के प्रार्थना पत्र पर विचार।

प्रत्यावेदन दाता के संक्रमणीय भूमिधर होने की पुष्टि जिलाधिकारी, मेरठ से कराने के उपरान्त प्रस्ताव अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या -२४

आपरेशन रक्षक मारटियर में शहीद हुए स्व० ले० तरूण नय्यर के पिता श्री एम०एस० नैय्यर को डिफैंस एन्कलेव योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या बी/२१ को रूपये १०२०/- प्रति वर्गमीटर पर आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि आवंटी पांच वर्ष तक इसे किसी अन्य को विक्रय नही करेगा तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अध्यावधिक निर्णयानुसार संशोधित निर्धारित मूल्य पर भूखण्ड का आवंटन किया जाये।

मद संख्या -२५

शासन से प्राप्त आदर्श जोनिंग रेग्यूलेशन को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरठ महायोजना २०२१ को १५ जुलाई २००२ तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये । आदर्श जोनिंग रेग्यूलेशन को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार एक उपसमिति का गठन किया गया । निर्णय लिया गया कि यह समिति स्थानीय परिस्थितियों व समस्याओं के मद्देनजर संशोधन/परिष्कार के बारे में तीन सप्ताह में अपनी रिपोर्ट तैयार कर अध्यक्ष महोदय से अवलोकित करायेगी। इसके उपरान्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जावे।

सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	अध्यक्ष
मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	सदस्य/संयोजक
चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन०सी०आर०	" "
सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	" "
अधिशासी अभियन्ता-प्रथम, मे०वि०प्राधि० मेरठ।	" "

मद संख्या -२६

प्राधिकरण की अर्जित भूमि में प्राईवेट विश्वविद्यालय हेकतु ४०-५० हैक्टे० भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड ने विचारोपरान्त प्रस्ताव को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। इस हेतु भूमि का चिन्हीकरण करने के लिए 'इन्सटीट्यूशनल एरिया' का निर्धारण मद संख्या २५ के अन्तर्गत गठित समिति करेगी। बोर्ड का अभिमत था कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम आयेंगे। इस प्रकार उपरोक्त प्रोजेक्ट के लिए भूमि की आरक्षित दर न्यूनतम रखने पर विचार किया जाये, जिसपर प्राधिकरण को अर्जन व्यय तथा विकास शुल्क अवश्य प्राप्त हो जाये। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापित करके तथा पारदर्शिता के साथ आवंटन, आदि की कार्यवाही की जाये। कार्यवाही कराये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

मद संख्या -२७

शासनदेश संख्या - ११०६/९-आ-१-आ०ब० बोर्ड बैठक/२००१ दिनांक १ मार्च २००१ में बिन्दु संख्या १८ के सम्बन्ध में 'क' से 'घ' तक बिन्दुवार सूचना ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों की अधिकता एवं अनाधिकृत/अवैध निर्माण या प्रभावी अंकुश रखने हेतु जोन व सैक्टरों की संख्या बढाकर अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं की तैनाती की जाये जिससे कि कर्मचारियें का भी सदुपयोग हो सके और अनाधिकृत/अवैध निर्माण पर भी नियंत्रण किया जा सके। हर योजना के लिए खण्ड निर्मित कर अवर अभियन्ताओं की जिम्मेदारी खण्डवार भूमि की सुरक्षा, विकास, निस्तारण

व न्यायिक पैरवी निर्धारित कर दी जावे। शताब्दी नगर के सैक्टर-१ में पट्टाधिकारियों का विवाद उप-जिलाधिकारी शीघ्र निपटायें इसे जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

बिन्दु (क) पर चर्चा के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि अवैध रूप से गड्ढो में व सरकारी जमीनों पर अनाधिकृत रूप से बस रही कालोनियों का चिन्हीकरण कर ऐसे कोलोनाईजरों के विरूद्ध थानों में अपराधिक रिपोर्ट दर्ज करायी जावे। इस कार्य को एक समिति हर सप्ताह करेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्य सभासद, भवन नियन्त्रण जोन प्रभारी, सहायक व अवर अभियन्ता शामिल रहेंगे।

मद संख्या -२८

शताब्दी नगर योजना के सेक्टर १, २, ५ व ६ के विक्रय मूल्य में बढोत्तरी के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या -२९

एशोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मेरठ को गंगा नगर योजना की पाकेट- ओ में लगभग २०००० वर्गमीटर भूमि इंजीनियरिंग कालेज हेतु अतिरिक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद आवासीय उपयोग हेतु खुली निविदा सह-नीलामी के माध्यम से इस भूमि का निस्तारण किया जाये।

मद संख्या - ३०

शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर-२ पाकेट-बी में आवंटी श्री बी०के०छिमवाल, वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के विरूद्ध चौकीदार शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या -३१

पाण्डव नगर आवासीय योजना के अल्प आय वर्ग भवन संख्या जे-११ के आवंटी श्री ईश्वरी लाल पुत्र श्री वैरागी लाल को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीडित होने के कारण आवंटन धनराशि पर दण्ड ब्याज अंकन रूपये १०६४५.३२ माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरानत अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या -३२

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक १९-९-२००१ के परिपेक्ष्य में प्रतिकर की धनराशि संशोधन बढोत्तरी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि योजनावार विस्तृत वित्तीय स्थिति का आंकलन करके जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष शासन को उक्त स्थिति से अवगत कराते हुए मार्गदर्शन हेतु पत्र लिख दें।

मद संख्या -३३

गंगा नगर आवासीय योजना के पाकेट-सी में सबसीडियरी इन्टेलीजेन्स ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार १९१ डी साकेत, मेरठ को कार्यालय सह-आवास हेतु ३६०० वर्ग मीटर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आरक्षित रखने की अवधि ३० जून, २००२ तक अनुमन्य की गयी।

मद संख्या -३४

प्राधिकरण द्वारा निरस्त व्यवसायिक एवं बल्क सम्पत्ति के बहाली के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्राधिकरण के अधिवक्ता की इस राय पर असहमति हुई कि पूर्व आवंटन के निरस्तीकरण के आदेश को वापस ले लिया जाये। तत्कालीन उपाध्यक्ष के द्वारा प्रक्रिया में अनियमितता होने की जांच विचाराधीन है। इसलिए प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए पुनः "जहां हैं, जैसे हैं" सिद्धान्त के आधार पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार कर निविदा-सह-नीलामी की कार्यवाही की जाये तथा कार्यवाही के माननीय उच्च न्यायालय/सक्षम न्यायालय के अनुमोदन हेतु भेजा जाये।

मद संख्या -३५

शासन द्वारा नियुक्त मैनेजमेंट ऑडिटर द्वारा प्राधिकरण के बारे में तैयार की आख्या का प्रस्तुतीकरण ।

अवगत होकर आख्या शासन को अवलोकनार्थ भेजने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।